



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 4, 2010
(PHALGUNA 13, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th March, 2010

No. 1-HLA of 2010/8.—The East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 1-HLA of 2010

THE EAST PUNJAB WAR AWARDS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

*further to amend the East Punjab War Awards
Act, 1948, in its application to the State of Haryana.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Act, 2010. Short title.
2. In section 3 of the East Punjab War Awards Act, 1948,—
 - (a) in clause (a) of sub-section (1), for the words “five thousand rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted; and
 - (b) in sub-section (1A), for the words “five thousand rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted.Amendment of section 3 of Punjab Act 22 of 1948.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of the increased cost of living it has become necessary to enhance the war jagir of every "eligible person" as defined in the Act from five thousand rupees to ten thousand rupees per annum.

Hence, this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 4th March, 2010.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As at present, in terms of the provisions of Section 3 of the East Punjab War Awards Act, 1948 every "eligible person" is entitled to a war jagir @ 5000/- per annum. It is proposed to increase the rate to Rs. 10,000/- per annum. As a result, there will be an additional liability of Rs. 40,90,000/- per annum on the State Exchequer.

(प्राधिकृत अनुवाद)

हरियाणा विधान सभा

2010 का विधेयक संख्या 1- एच०एल०ए०

पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2010

पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक अधिनियम, 1948,

को, हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित

करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1948 के पंजाब
अधिनियम 22 की
धारा 3 का
संशोधन।

1. यह अधिनियम पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2010,
कहा जा सकता है।
2. पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक अधिनियम, 1948, की धारा 3 में,—
 - (क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में, “पांच हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर,
“दस हजार रुपये” शब्द रखे जायेंगे ; तथा
 - (ख) उपधारा (1क) में, “पांच हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार
रुपये” शब्द रखे जायेंगे।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक “पात्र व्यक्ति” जैसा कि एकट में परिभाषित है, की वार जागीर “पांच हजार रुपये” से बढ़ाकर “दस हजार रुपये” वार्षिक की जाए।

अतः, यह बिल।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
4 मार्च, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक अधिनियम, 1948, की धारा 3 की वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रत्येक “पात्र व्यक्ति” 5,000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से बार जागीर का पात्र है। इस दर को बढ़ाकर 10,000/- रुपये वार्षिक करने का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप राज्य कोष पर 40,90,000/- रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

46942—H.V.S.—H.G.P., Chd.